



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 124 राँची, गुरुवार,

24 मार्च, 2022 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संकल्प

3 फरवरी, 2022

विषय:

झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत भू-अभिलेखों के सुदृढीकरण, सुरक्षा एवं कुशल प्रबंधन हेतु सुचना प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवायें (IT Advisory Service) प्राप्त करने के लिए कार्यहित में नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट (NISG) का मनोनयन के आधार पर चयन करने एवं सेवा शुल्क के रूप में प्रदेय रू०-79,20,000/- (कर अतिरिक्त) की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-पत्रांक-01/निदे०अभि०, DILRMP(सू०प्रौ०स०से०)-28/2021-70/नि०रा०, --झारखण्ड राज्य

से संबंधित भू-अभिलेखों को Jharbhoomi.nic.in वेबसाइट के माध्यम से डिजिटली संधारित किया जाता है। वर्तमान में नागरिक केन्द्रित सेवाएँ यथा-आनलाईन लगान रसीद का भुगतान, ऑनलाईन दाखिल-खारिज, दाखिल-खारिज से संबंधित अपील, भूमि सीमांकन, नागरिकों के शिकायत आदि का निष्पादन Jharbhoomi.nic.in वेबसाइटके माध्यम से किया जा रहा है। National Informatics Centre (NIC) द्वारा jharbhunaksha.nic.in एवं Revenue Case Monitoring System (RCMS) Software Application को भी विकसित किया गया है ताकि कुशलता एवं पारदर्शितापूर्वक नागरिक सेवाएँ प्रदान की जा सकें। Cyber Security एवं नागरिक केन्द्रित सेवाओं को डिजिटली प्रदान करने में आ रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए तथा Software क्षेत्र में हुए तकनीकी विकास को देखते हुए मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म को Upgrade करने की आवश्यकता महसूस हो रही है ताकि मौजूदा प्रणाली की सभी आधारभूत विशेषताएं Cyber Security एवं बेहतर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हो ।

2. अद्यतन भू-अभिलेख होना राज्य के विकास एवं भूमि विवाद के निराकरण के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्रम में झारभूमि के द्वितीय संस्करण (Second Version) जो कि Real Time Updation of Map, Enhanced Cyber security, Improved UI/UX, बेहतर Data Base Management, Unique Land Parcel Identification Number एवं प्रभावी डाटा विश्लेषण आदि आधुनिक विशेषताओं से परिपूर्ण हो, को तैयार करने हेतु प्रौद्योगिकी सलाहकार की सेवा प्राप्त करने की अनुमति प्रदान जाती है ।

3. उक्त के आलोक में इस कार्य हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवायें (IT advisory Service) प्राप्त करने के लिए नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट (NISG) का सेवा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट (NISG) जन-निजी-भागीदारी पर स्थापित एक गैर लाभकारी संस्थान है। इस संस्था का गठन National Task Force on Information Technology की अनुशंसा सं०-97 के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2002 में किया गया है। भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार एवं नैसकॉम इस संस्था के प्रमुख प्रवर्तक हैं। इसके अतिरिक्त आई०एल०एंड एफ०एस०, छत्तीसगढ़ सरकार, मेघालय सरकार एवं विशाखापत्तनम नगर निगम इस संस्था के अन्य स्टेकहोल्डर्स हैं। इस संस्था में 51% Equity निजी उपक्रमों एवं 49% की Equity सार्वजनिक लोक उपक्रमों की है। नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट (NISG) के स्तर से केन्द्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों की कई ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है जिनमें प्रमुख योजनाएँ निम्नवत् हैं:-

- Crime and Criminal Tracking and Network Systems Scheme (CCTNS)- गृह मंत्रालय, भारत सरकार
- Re-engineering of Defense Pension-रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
- Passport Seva Project, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार
- e-Procurement System, कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़ सरकार
- Integrated Land Information System आन्ध्र प्रदेश सरकार

- सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के एकीकृत डिजिटल प्रबंधन प्रणाली, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार ।

नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट (NISG) कई महत्वपूर्ण ई-गवर्मेंट परियोजनाओं यथा-Unique Identification Authority Of India (UIDAI), National e-Governance Plan (NeGP), MCA21 Project, Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) Scheme के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन ईकाई के रूप में भी कार्यरत है। NISG के स्तर से क्षमता संवर्धन एवं ज्ञान प्रबंधन के कई कार्यक्रमों का संचालन भी किया जाता है ।

4. उक्त परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड के सभी भू-अभिलेखों के सुदृढीकरण, सुरक्षा एवं कुशल प्रबंधन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवाओं (IT Advisory Service) के रूप में नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट (NISG) द्वारा निम्न सेवाएँ प्रदान की जाएँगी:-

4.1 NIC (National Informatics Centre) द्वारा संचालित झारभूमि, RCMS एवं झार भू-नक्शा सॉफ्टवेयर के सफल संचालन एवं सॉफ्टवेयर में व्याप्त त्रुटियों के सुधार हेतु प्रस्ताव ।

4.2 भू-अभिलेख, झारभूमि, RCMS एवं झार भू-नक्शा सॉफ्टवेयर के Cyber Security तथा Performance Enhancement हेतु प्रस्ताव ।

5. उक्त सेवाओं के लिए भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड तथा नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट (NISG) के माध्यम से एक एकरारनामा किया जायेगा जिसमें सभी सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की जायेगी, साथ ही उक्त सेवाएँ प्रदान करने के विरुद्ध चरणवार भुगतान का निर्धारण किया जायेगा। चरणवार भुगतान, निम्नवत् होगा:-

Cost Estimate by NISG :				
Sl.NO	Milestone	% Payment	Cost (Rs)	Invoice Timeline
1	Mobilisation advance	20%	14,40,000/-	T 0
2	As-is-Report	20%	14,40,000/-	T 0+1.5
3	Future State Requirements	20%	14,40,000/-	T 0+2.5
4	Solution Blueprint	20%	14,40,000/-	T 0+4.0
5	Detailed Project Report	20%	14,40,000/-	T 0+4.5
Total		100%	72 lakh Plus GST	4.5 months

(क) उपर्युक्त राशि के अनुसार प्रदेय कर अतिरिक्त रूप से देय होगा, जिसका निर्धारण विपत्र समर्पण करने की तिथि को प्रभावी दर के अनुसार होगा ।

- (ख) NISG के स्तर से इस कार्य के अंतर्गत उनके प्रतिनिधि द्वारा सभी प्रकार की यात्राओं एवं स्थानीय परिवहन में होने वाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड द्वारा कुल सेवा राशि अर्थात् ₹0 72,00,000/- की 10% की अधिसीमा (₹ 7,20,000/-) का वहन किया जायेगा ।
- (ग) इस प्रकार प्रस्तावित कार्य हेतु NISG को अधिकतम ₹0-79,20,000/- (कर अतिरिक्त) का भुगतान किया जा सकेगा ।
6. उक्त राशि का वहन माँग सं०-40, राज्य योजना मुख्य शीर्ष-2029 भू-राजस्व लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/लघुशीर्ष-102-सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य उपशीर्ष-19-“बाह्य स्रोत/अनुबंध से अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता” के अंतर्गत “मजदूरी ईकाई” मद में बजटीय उपबंधित राशि से किया जायेगा ।
7. प्रस्ताव के अनुसार, कार्यादेश निर्गत होने के 18 सप्ताह की अवधि में NISG के द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा जिसे सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के समक्ष तकनीकी मूल्यांकन एवं अनुमोदन हेतु उपस्थापित किया जायेगा। अनुमोदनोपरांत इस पर विहित प्रक्रिया का पालन कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।
8. उक्त कंडिका 1-6 के परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत झारखण्ड के सभी भू-अभिलेखों के सुदृढीकरण, सुरक्षा एवं कुशल प्रबंधन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवायें (IT Advisory Services) प्राप्त करने के लिए कार्यहित में नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट (NISG) का मनोनयन के आधार पर चयन किया जाता है एवं उक्त सेवा के लिए NISG को अधिकतम प्रदेय शुल्क ₹०-79,20,000/-(कर अतिरिक्त) की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक-712/नि०रा०, दिनांक-23.12.2021 के क्रम में दिनांक-19.01.2022 की बैठक के मद संख्या-22 में दी गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एल० खियांगते,
अपर मुख्य सचिव ।
